मत्स्य विकास के वित्तपोषण हेतु योजना :

स्वदेशी मत्स्य विकास तथा खारे पानी की मछली के विकास और झींगा पालन के वित्तपोषण हेतु योजना :

प्रयोजन : ताल/ कुण्डों के निर्माण/ पुर्नोत्थान, जलद्वार (स्लूस) का निर्माण, झींगा मछली की खरीद, फ्राई एवं फिंगर लिंग्स/ फिश सीड/ झींगा मछली के बीज, निविष्टयों जैसे ऑयल केक, उर्वरक, जैव उर्वरक तथा अन्य भोज्य सामग्री की खरीद प्रथम हार्वेस्ट तक, जालों, बक्सों तथा बास्केट, रस्सियों, बेलचे, हुक तथा अन्य सहायक चीज़ों इत्यादि की खरीद के लिए वितपोषण बढ़ाया गया है ।

पात्रता : उन किसानों, व्यक्तियों, सहकारी समितियों, व्यक्तियों का संघ जिनके पास योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त जानकारी और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं हैं, उन्हें ऋण सहायता दी गई है ।

ऋण की सीमा : आवश्यकता आधारित ।

ऋण की चुकौती : ऋणों को नीचे दी गई निर्दिष्ट अवधि के भीतर चुकाया जाना आवश्यक है ।

ताल मत्स्य पालन : वार्षिक चुकौती के साथ उत्पादन पूर्व अवधि सहित 5 - 8 वर्ष ।

खारे पानी की मछली /झींगा कल्चर : छमाही चुकौती विधि से, उत्पादन पूर्व अवधि सहित **5-10** वर्ष ।

समुद्री मत्स्य पालन के वित्तपोषण हेतु योजना:

प्रयोजन: मशीनीकृत/ गैर-मशीनीकृत नावों/ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जलपोत/ ट्रावलर्स, जालों - यात्रा जाल/ पर्स-सीन/ ग्रिल जाल की खरीद के लिए, अन्य डेक उपकरणों जैसे ट्रैवल, चरखी, तार रस्सी, दस्ताने, नेट हैंडलर, नौवहन रोशनी, लाइफ जैकेट, लाइफ बोट, कांटा, दिशा सूचक, मछली ढूँढने वाला आदि की खरीद, समुद्री इंजन की खरीद आदि के लिए ऋण पर विचार किया जा सकता है ।

पात्रता: तकनीकी योग्यता प्राप्त तथा ऐसे उद्यमों पर कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से अनुभवी व्यक्ति/साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, लिमिटेड कम्पनियों को ऋणों का प्रसार ।

ऋण की सीमा: ऋण राशि इच्छुक उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट की आवश्यकताओं के अनुसार होगी।

ऋण की चुकौती:

मध्यावधि ऋण:

गैर-मशीनीकृत नाव/ पोत : **6-7** वर्ष

मशीनीकृत नाव : **8-12** वर्ष

नकद ऋण सीमा: कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं हेतु नकद ऋण सीमा को प्रति वर्ष नवीकृत किया जाता है।